ग्रामीण उद्यमी परियोजना

प्रलिम्सि के लयि:

राष्ट्रीय कौशल वकिास नगिम (NSDC), ग्रामीण उद्यमी परयिोजना, कौशल वकिास और उद्यम मंत्रालय (MSDE)।

मेन्स के लयि:

ग्रासरूट स्तर पर उद्यमता की आवश्यकता।

चर्चा में क्यों?

हाल ही मे **राष्ट्रीय कौशल वकिास नगिम (NSDC)** ने सेवा भारती और युवा वकिास सोसायटी के साथ साझेदारी में ग्रामीण उद्यमी परयिोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कयिा।

- इस पहल क उद्देश्य भारत के युवाओं को बहु-कौशल तथा उन्हें आजीवकिा उपार्जन के लयि सक्षम बनाने हेतु कार्यात्मक कौशल प्रदान करना है।

राष्ट्रीय कौशल वकिास नगिम:

- राष्ट्रीय कौशल वकिास नगिम एक गैर-लाभकारी सार्वजनकि लमिटिेड कंपनी है। इसकी स्थापना 31 जुलाई, 2008 को कंपनी अधनियिम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधनियिम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप) के तहत की गई थी।
    - NSDC की स्थापना वत्ति मंत्रालय ने सरकारी नजिी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के रूप में की थी।
    - कौशल वकिास और उद्यमता मंत्रालय (MSDE) के माध्यम से भारत सरकार के पास NSDC का 49% हसि्सा है, जबकि निजी क्षेत्र के पास शेष 51% का स्वामत्तित्व है।
    - यह कौशल प्रशक्षिण प्रदान करने वाले उद्यम, कंपनयिों और संगठनों को धन प्रदान करके कौशल वकिास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

ग्रामीण उद्यमी परयिोजना:

- **परचिय:**
    - यह एक अनूठी बहु-कौशल परयिोजना है, जो NSDC द्वारा वत्ति पोषति है, जसिका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 आदवासी छात्रों को प्रशक्षिति करना है।
        - यह परयिोजना छह राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है।
- **महत्त्व:**
    - आदवासी स्तर पर स्वामत्तित्व बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है ताकि ऐसी योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूकता पैदा हो।
        - आदवासी युवाओं में इतनी शक्ति और क्षमता है कि हमें बस इतना करना है कि वे अपनी प्रतभिा का सही जगह उपयोग कर सकें।
    - यह पहल हमारी आदवासी आबादी को आर्थकि सशक्तीकरण प्रदान करेगी।
- **उद्देश्य:**
    - ग्रामीण/स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि
    - रोज़गार के अवसर बढ़ाना
    - स्थानीय अवसरों की कमी के कारण प्रवास के दबाव को कम करना
    - प्राकृतकि संसाधनों का संरक्षण

ग्रामीण उद्यमी परयिोजना का क्रयिान्वयन:

- **चरण एक:**
  - प्रशिक्षण के पहले चरण में महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
    - प्रतिभागियों को परिवहन, खान-पान और आवास की सुविधा प्रदान की गई थी ताकि वे संसाधनों की कमी के कारण सीखने के अवसर से न चूक जाएँ।
- **दूसरा चरण:**
  - राँची में शुरू की गई पायलट परियोजना के दूसरे चरण को युवा विकास सोसायटी द्वारा सेवा भारती केंद्र के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
    - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती केंद्र कौशल विकास केंद्र में सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCS) के माध्यम से प्रयोगशालाओं और कक्षाओं की स्थापना में सहायता की है।
- परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण निम्नलिखित नौकरी की भूमिकाओं में उपयोग किया जाएगा जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिये प्रासंगिक हैं।
  - इलेक्ट्रीशियन और सोलर पीवी इंस्टालेशन टेक्निशियन।
  - प्लम्बिंग और मेसनरी।
  - दोपहिया वाहनों की मरम्मत एवं रख-रखाव।
  - ई-गवर्नेंस के साथ आईटी/आईटीईएस।
  - कृषि यंत्रीकरण।

कौशल विकास के लिये सरकार द्वारा की गई पहल:

- [प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)]
- रोज़गार मेला।
- प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK)।
- क्षमता निर्माण योजना।
- स्कूल पहल और उच्च शिक्षा।
- इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स (IISCs)।
- प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT)।

आगे की राह:

- राष्ट्रीय औसत की तुलना में कौशल और शिक्षा की कमी के कारण आदिवासी आजीविका में संगठित क्षेत्रों का योगदान काफी कम है।
  - इसलिये, ग्रामीण उद्यमी परियोजना जैसी परियोजनाएँ उनके सुधार और यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं कि वे अपना जीवन यापन कर सकें।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रिलिम्स:

प्रश्न. 'पूर्व शिक्षा योजना की मान्यता' का उल्लेख कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में किया जाता है? (2017)

(a) पारंपरिक चैनलों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन।
(b) दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों का नामांकन करना।
(c) कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिये कुछ कुशल नौकरियां आरक्षित करना।
(d) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं द्वारा अर्जित कौशल को प्रमाणित करना।

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की शुरुआत की।** इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना था जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा।
- PMKVY के एक घटक के रूप में शुरू की गई पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL) प्रमुख तौर पर मूल्यांकन प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है जो औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है, न कि राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत।
- इसके तीन उद्देश्य हैं: देश के गैर-विनियमित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे (NSQF) के साथ संरेखित करना। किसी व्यक्ति के रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना। ज्ञान के कुछ रूपों को दूसरों पर विशेषाधिकार प्रदान किये बिना असमानताओं को कम करने के अवसर प्रदान करना।

अतः वकिल्प (a) सही है।

प्रश्न. भारत में जनसांख्यकिी लाभांश केवल सैद्धांतकि ही रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधकि शक्षिति, जागरूक, कुशल और रचनात्मक नहीं हो जाती। हमारी जनसंख्या की क्षमता को अधकि उत्पादक और रोज़गार योग्य बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय कयि गए हैं? (मुख्य परीक्षा, 2016)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/grameen-udyami-project